अनुदान संख्या–81
लेखाशीर्षक–2515007960201–20

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

आहरण एवं वितरण अधिकारी,
पंचायती राज निदेशालय, उत्तर प्रदेश।

संख्याः 1/शा0/31/2022–1/177/2022 लखनऊः दिनांक 14 सितम्बर, 2022

विषयः वित्तीय वर्ष 2022–23 अनुदान संख्या–81 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेस–2 के अन्तर्गत राज्य स्तर से केन्द्रांश रू0–213.87 लाख की धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त उप सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–33–3002 (001)/5/2022–3, दिनांक 12 सितम्बर, 2022 (प्रति संलग्न) जिसके के अन्तर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अनुदान संख्या–81 में वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0–2145.83 लाख के सापेक्ष **केन्द्रांश रू0–213.87 लाख (रूपया दो करोड़ तेरह लाख सत्तासी हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है। अतः उपरोक्तानुसार स्वीकृत कुल **रू0–213.87 लाख (रूपया दो करोड़ तेरह लाख सत्तासी हजार मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती हैं:–

1–आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) फेस–2 योजनान्तर्गत निर्गत गाईडलाइन/दिशा–निर्देश के अनुसार किया जायेगा।

2– आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण परियोजनावार किया जायेगा तथा अग्रिम वित्तीय स्वीकृति प्रस्तावित करते समय परियोजनावार लागत, उसके सापेक्ष स्वीकृत धनराशि, व्यय धनराशि, प्राप्त वित्तीय भौतिक प्रगति का विवरण योजना प्रभारी द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

3– आंकड़ों की शुद्धता व धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि, धनराशि के आहरण/व्यय के अनुपालन का दायित्व योजना प्रभारी का होगा।

4– उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5– आवंटित की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार चरणों में किया जायेगा।

6–इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गए दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त आवंटित की जा रही धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनायें परीक्षण/सत्यापन हेतु लेखा एवं बजट अनुभाग को उपलब्ध करायी जाय।

7– उक्त आवंटित धनराशि को आहरण कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज के नियमानुसार समायोजन/निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व योजना प्रभारी का होगा।

8– आवंटित की जा रही धनराशि से यथावश्यकता सामग्री, उपकरण आदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रकिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करने का दायित्व योजना प्रभारी का होगा।

9—भारत सरकार द्वारा निर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन की व्यवस्था के अनुसार उक्त आवंटित धनराशि को स्टेट बैक आफ इण्डिया, शाखा जवाहर भवन, लखनऊ स्टेट स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के नाम से सिंगल नोडल एकाउण्ट सं0—40366745654 आई0एफ0एस0सी0 कोड SBIN0006144 में जमा किया जायेगा।

10—उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022—23 में अनुदान संख्या—81 के लेखाशीर्षक "2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम—796—जनजाति क्षेत्र उपयोजना—02—स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)—0201—स्वच्छ शौचालय का निर्माण (जिला योजना) (के060 / रा040—के0+रा0)—20—सहायता अनुदान—सामान्य (गैर वेतन)"के नामें डाला जायगा।

11— योजना प्रभारी द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी श्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अर्थात किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

12— पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र सं0—एस—12011 / 4 / 2020—एस0बी0एम0—डी0डी0डब्लू0एस0, दिनांक 01—08—2022 में अंकित दिशा—निर्देश / शर्तो का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।

13—शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में समय—समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराने का दायित्व योजना प्रभारी का होगा।

14— आवंटित की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग—1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या—13 / 2022 / बी—1—454 / दस—2022—231 / 2022, दिनांक 07 जून, 2022 व अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए उसके अनुसार कार्यवाही / अनुपालन करने का दायित्व योजना प्रभारी का होगा।

15—आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण तिथि, बाउचर संख्या, आहरण की धनराशि सूचना निर्धारित रूपपत्र बी0एम0—4 पर बजट एवं लेखा अनुभाग को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

16— आवंटित धनराशि का व्यय एस0सी0एस0पी0 / टी0एस0पी0 के लिए योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत जनपदों को अवमुक्त की जायेगी। उक्त धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना का कियान्वयन हेतु समय—समय पर निर्गत मार्ग निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

17—उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर नोडल अधिकारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगे।

18— धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण—पत्र निर्धारित रूपपत्र पर महालेखाकार उ0प्र0 प्रयागराज तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या—147 पर अंकित है।

<u>संलग्नः—उक्तानुसार।</u>

भवदीय,

(अनुज कुमार झा)
निदेशक,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्याः1 / शा0 / 31 / 1 / 2022 उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
2— वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15—1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, प्रयागराज—211001.
3— अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
4— उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग—2, उ0प्र0 शासन।
5— मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6— संयुक्त निदेशक / योजना प्रभारी, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0), उ0प्र0।

7- एस0पी0एम0यू0 सेल, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(प्रदीप कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2022-2023
आवंटन दिनांक-14/09/2022

प्रेषण संख्या:- 1-sha-31-2022-1-177-2022
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1-177-2022
अनुदान संख्या:- 81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)(वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनेत्तर-मतदेय)

796 - जन जातीय क्षेत्र उपयोजना
02 -
01 - स्वच्छ शौचालय का निर्माण (जिला योजना) (के 60/रा 40-के+रा)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2287-निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 , लखनऊ-01-पंचायत राज निदेशालय	वर्तमान प्रगामी	21387000 21387000	21387000 21387000
	योग	वर्तमान प्रगामी	21387000 21387000	21387000 21387000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो करोड़ तेरह लाख सत्तासी हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो करोड़ तेरह लाख सत्तासी हजार

(प्रदीप कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी